# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 34/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/ 00034)**

1. प्रेमचन्द
2. बनवारी

पिसरान लिछमण जाति मेधवाल निवासी चक 44 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

**अपीलान्ट्स**

**बनाम**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
2. सहीराम (मृतक)
   - 2/1 शान्तीदेवी पत्नी स्व. श्री सहीराम जाति मेधवाल निवासी चक 44 एनडीआर तहसील पीलीबंगा।
   - 2/2 सुन्दरपाल पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेधवाल निवासी चक 44 एनडीआर तहसील पीलीबंगा।
   - 2/3 शिमलादेवी पुत्री स्व. श्री सहीराम जाति मेधवाल निवासी चक 44 एनडीआर तहसील पीलीबंगा।

**रेस्पोडेंट्स**

**उपस्थितः**
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री विजय भादाणी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 ता 2/3
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 30.10.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 13.10.98 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपने आदेश क्रमांक एफ 9 (7) (4) (9) डीआरए/98 1883 दिनांक 13.10.98 द्वारा अपीलान्ट्स की चक 44 एनडीआर में आंवटित 18.09 बीघा भूमि निर्धारित अवधि में किश्ते जमा नही करवाने के कारण आंवटित रकबा रिज्यूम कर उक्त रकबा का कब्जा बहक सरकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ में प्रस्तुत की गई। क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने के कारण राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 के आदेश /1(17)राजस्व–6/2019/112 दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

17.10.2019 की पालना में राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अपीलान्ट्स को नोटिस जारी किये गये, एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि चक नं. 44 एन.डी.आर. पं. नं. 65/345 के किला नं. 11 ता 15, 21, 25, पं. नं. 66/346 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23, कुल 18 बीधा 9 बिस्वा भूमि अपीलान्ट्स को दिनांक 14.05.1992 को बतौर बालिग पुत्र कीमतन अलोट की गयी है। अपीलान्ट्स हरीजन काश्तकार व्यक्ति है जो लधु काश्तकार है अपीलान्ट्स द्वारा तीन किस्तो की राशि खजाना राज में जमा करवायी जा चुकी है तथा बाद मे अकाल पड़ा एवं फसल नही होने के कारण शेष किश्तो की राशि खजाना राज में जमा नही करवा सके। जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपीलान्ट्स को बिना सुने बिना नोटिस दिये अपने आदेश दिनांक 13.10.98 द्वारा अपीलान्ट्स का आवटन रकबा निरस्त कर दिया। बाद में अपीलान्ट्स को नोटिस जारी कर किश्ते जमा करवाने का कहा, साथ ही शर्त रखी यह भूमि विशेष आवंटन में आ गई है इसलिए किश्ते विशेष आवटन की भूमि की किश्त जमा करवानी होगी। अपीलान्ट्स गरीब आदमी है अब अपीलान्ट्स सामान्य आवटन की पूर्व की शेष किस्तो की राशी मय ब्याज खजाना राज में जमा करवाने के लिए तैयार है। गजट से डिनोटिफाईड करने के आदेश दिये। जिसकी अपील पेश की गई अपील में अभी तक स्थगन आदेश जारी है। किस्तो के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट्स को आवंटन भूमि निरस्त नही कर सकते है। अतः अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.98 को निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को सामान्य आवटन की शेष किश्तो की राशी खजाना राज में जमा करवाने के लिए आदेश फरमावे। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1994 पेज 291, RRD 1994 पेज 277, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. रेस्पोडेन्ट्स सं. 2/1 ता 2/3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलान्ट्स की बहस समर्थन करते हुए कंहा कि अधीनस्थ न्यायालय किश्तो के अभाव में आवटन रकबा निरस्त नही कर सकते है। गजट बाद मे जारी हुआ है, हमारा सामान्य आवटन पहले का है। गजट हमारे उपर लागू नही होता है। हम सामान्य आवटन की शेष किस्तो की राशी मय ब्याज खजाना राज में जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.98 को निरस्त फरमावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने लिखित जवाब पेश अकित किया कि जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.10.98 में अपीलान्ट्स को चक 44 एनडीआर में आवटित भूमि की किश्ते निर्धारित अवधि मे जमा नही करवाने के कारण आंवटित रकबा रिज्यूम किया गया है। जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा जारी आदेश न्यायसंगत है तथा उक्त आदेश व कार्यवाही यथावत रखी जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 13.10.98 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.98 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। हस्तगत् मामलें में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.10.98 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 5.8.11 को करीब 13 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। यदि अपील मियाद बाहर है तो अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मय शपथ पत्र, ठोस आधारो एवं औचित्यपूर्ण कारणो जिन पर स्वभावतः विश्वास किया जा सके, के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अपीलान्ट द्वारा करीब 13 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील में केवल धारा 5 के प्रार्थना पत्र में यह कहना युक्तियुक्त एवं सन्तोषप्रद कथन नही है कि उन्हे यह जानकारी जमाबन्दी की नकल लेने पर दिनांक 12.7.2011 को हुई, जबकि अपीलान्ट को तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा दिनांक 5.6.98 को नोटिस जारी कर उक्त राशि जमा खजाना राज कराने के लिए जारी किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गया था, इसके बाद अपीलान्ट को जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा 31.7.98 को नोटिस जारी किया गया है, उक्त नोटिस का जवाब अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ को दिनांक 25.8.98 को दिया गया है, प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 27.10.1999 को जिला कलक्टर हनुमानगढ को किश्त के अभाव मे निरस्त आवंटन को बहाल किए जाने हेतु लिखा गया। इस प्रकार अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.98 की जानकारी शुरू से थी। अपीलान्ट द्वारा अपील की अवधि को कण्डोन करने का संतोषजनक, ठोस एवं विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप गुणावगुण के बिन्दु पर विचार करने की आवश्यकता नही मानते हुए मियांद के बिन्दु पर अपील को खारिज किया जाना उचित मानते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.98 यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/X/2023

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर